न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

ांक	फर्द अहकाम	
	मु.नं. 112/17 तारीख रजू 5-9-17 उनवान – कमलेश बनाम गोपाल वगै० गुदड़ी बाजार टोडाभीम दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा वादिया की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25-9-17 को पेश हो। जगदीश आर्य उपजिला कलक्टर टोडाभीम	4823-25 5-9-17
25-9-17	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1 का सम्मन पुत्री पर तामील हो गया है। प्रतिवादी नं. 2 दिल्ली रहना बताया है। प्रतिवादी नं. 3 के कर्मचारी पर सम्मन तामील हो गया है। P.O. सा० बाहर पधारे हैं, वास्ते अग्रिम आदेश दि० 12-10-17 को पेश हो।	
12/10/17	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1 की व 3 की तामील हो चुकी है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। इसलिए इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नं. 2 की तामील अदम प्राप्त हुई। वादी वकील पुनः सम्मन तलबाना मय रजिस्टर्ड, सही पता प्राप्त कर प्रस्तुत करे। वास्ते तलबी दिनांक 6-11-17 को पेश हो।	
6-11-17	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 2 का रजि० AD सम्मन दि० 31-10-17 को भेजा गया। वइन्तजार रजि० AD रसीद दिनांक 30-11-17 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
30.11.17	वादी वकील उप./ प्रतिवादी नं. 2 का रजि० AD जमान भेजे एक माह हो गया है AD रसीद प्राप्त नहीं है एक माह से ज्यादा समय होने से तामील मानी जाती है उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वास्ते साक्ष्य वादी पेश करने दि० 5-1-18 को पेश हो। पुनश्च: वादी वकील ने कथन किया कि पक्षकार मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते है इसलिए Not Press में मुकदमा खारिज कर दिया जावे। वादी द्वारा मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहने से यह दावा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner